संख्याः 2025/XXIV-3/08/02(125)2006

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 26 दिसंबर, 2008.

विषयः– राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5(ख)1/28850/जीर्ण–शीर्ण/ 2008–09, दिनांकः 03 नवम्बर, 2008 के संबंध में तथा शासनादेश संख्याः 1747/XXIV-3/2007/02(125)/2006, दिनांकः 16 जनवरी, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 02 में उल्लिखित 03 रा0इ0का0/रा0उ0मा0वि0 के भवन निर्माण हेतु स्तम्भ–3 पर उल्लिखित अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ–4 पर पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए स्तम्भ–5 पर अंकित विवरणानुसार कुल रू0 116.00 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्याः 657/XXIV-3/2008/02(37)/2008, दिनांकः 16 अप्रैल, 2008 द्वारा आपके निदर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:–

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	अनुमोदित लागत	अब तक स्वीकृत धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
01	02	03	04	05
01.	रा0इ0का0 जितुवापीपल, नैनीताल.	69.35	27.35	32.00
02.	रा0इ0का0 धनियाकोट, नैनीताल.	67.25	26.25	31.00
03.	रा0उ0मा0वि0 लालढांग, हरिद्वार.	87.55	34.55	53.00
	योग	224.15	88.15	116.00

(क्रमशः–2)

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नामें है, स्वीकृत नामें से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

(5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मददे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखतें हुए निर्माण कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(6)– कार्य करानें से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च–अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय।

(8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

(9) उक्त कार्यों की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्यों को समयबद्ध ढ़ग से शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। जी0पी0डब्ल्यू फार्म–09 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूली किया जायेगा।

(10)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक: 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11)– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि के उपभोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

(क्रमशः–3)

4– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा– 202–माध्यमिक शिक्षा–00–आयोजनागत–11– राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 552 (P)/वित्त (व्यय नियंत्रण अनु0–3/2008 दिनांक: 12 दिसंबर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या: 2025(1)/XXIV-3/08/02(125)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी,
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी,
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल–नैनीताल/गढ़वाल मण्डल–पौड़ी।
6– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल–नैनीताल/गढ़वाल मण्डल–पौड़ी।
7– जिलाधिकारी, नैनीताल, हरिद्वार।
8– कोषाधिकारी, नैनीताल, हरिद्वार।
9– जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल, हरिद्वार।
10– वित्त विभाग अनु0–03/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
12– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
13– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– संबंधित निर्माण एजेंसी।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव